

परिपत्र

विषय: निदेशालय की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 15 दिसम्बर 2020 को आयोजित तिमाही बैठक में लिए गए निर्णयों पर निदेशालय के अनुभागों द्वारा की जाने वाली अनुवर्ती कार्रवाई।


उपर्युक्त विषय के संबंध में कृपया हिंदी अनुभाग के दिनांक 22 दिसम्बर 2020 के कार्यालय जापन संख्या ए. 20011/4/2017-हिंदी के मद संख्या 3 और मद संख्या 4 के संदर्भ में सूचित करना है कि अनुभागों के हिंदी पत्राचार को बढ़ाने और फाइलों पर हिंदी टिप्पणियों के निर्धारित लक्ष्य को हासिल करने हेतु आवश्यक प्रयास किए जाएं। गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग द्वारा कार्यालय की तिमाही रिपोर्ट की समीक्षा रिपोर्ट के अनुसार भी हिंदी पत्राचार को बढ़ाने हेतु पत्र जारी करने का निर्देश दिया गया है।

2. उपरोक्त के अनुसरण में निदेशालय के सभी अनुभागों को सूचित किया जाता है हमारा कार्यालय 'क' क्षेत्र में स्थित होने के कारण कार्यालय द्वारा 'क' और 'ख' क्षेत्र में स्थित कार्यालयों को सभी पत्र हिंदी में भेजे जाने अपेक्षित हैं, जबकि सितम्बर 2020 की तिमाही में कार्यालय द्वारा 'क' क्षेत्र में स्थित कार्यालयों को केवल 43.54 % तथा 'ख' क्षेत्र में स्थित कार्यालयों को 29.20% पत्र हिंदी में भेजे गए। कार्यालय द्वारा 'ग' क्षेत्र में स्थित कार्यालयों को 65% पत्र हिंदी में भेजे जाने अपेक्षित हैं, जबकि इन कार्यालयों को भी 28.38% पत्र हिंदी में भेजे गए जोकि लक्ष्य से बहुत कम है। निदेशालय के सभी अनुभाग 'क' क्षेत्र में स्थित हैं इसलिए सभी अनुभागों द्वारा 'क' एवं 'ख' क्षेत्र में स्थित कार्यालयों को 100% पत्र हिंदी में भेजे जाने अपेक्षित हैं और 'ग' क्षेत्र में स्थित कार्यालयों को 65% पत्र हिंदी में भेजे जाने अपेक्षित हैं। अतः सभी अनुभाग अधिकारियों से अनुरोध है कि कृपया अपने-अपने अनुभाग से 'क' एवं 'ख' क्षेत्र में स्थित कार्यालयों/अनुभागों को 100% पत्र हिंदी में भेजा जाना सुनिश्चित करें और 'ग' क्षेत्र में स्थित कार्यालयों को 65% पत्र हिंदी में भेजा जाना सुनिश्चित करें ताकि राजभाषा विभाग द्वारा जारी हिंदी पत्राचार के लक्ष्य को हासिल किया जा सके। कृपया यह भी सुनिश्चित करें कि संबंधित अनुभाग का हिंदी पत्राचार और फाइलों पर हिंदी टिप्पणियों का प्रतिशत पिछली तिमाही से कम न हो पाए।

3. कार्यालय द्वारा सितम्बर 2020 तिमाही के दौरान 49.90% टिप्पणियां हिंदी में लिखी गईं। निर्धारित लक्ष्य के अनुसार कम से कम 75% टिप्पणियां हिंदी में लिखी जानी अपेक्षित हैं। अतः सभी अनुभाग अधिकारियों से अनुरोध है कि फाइलों पर कम से कम 75% हिंदी में टिप्पणियां लिखना सुनिश्चित करवाएं।

4. कार्यवृत्त के मद संख्या 1 (इ) में दिए गए निर्देश के अनुपालन में सभी अनुभाग अधिकारियों से अनुरोध है कि कार्यालय में प्रवीणता प्राप्त जिन कार्मिकों को हिंदी में कार्य करने हेतु व्यक्तिशः आदेश जारी किए गए हैं, उन सभी कार्मिकों से शत प्रतिशत सरकारी कार्य हिंदी में करवाना सुनिश्चित करें और प्रवीणता प्राप्त कार्मिक कितना प्रतिशत कार्य हिंदी में करते हैं, इसका डाटा हिंदी अनुभाग में भिजवाना सुनिश्चित करें ताकि निदेशालय की अगली तिमाही बैठक में इसकी सूचना अध्यक्ष महोदय को प्रस्तुत की जा सके।

5. इसे सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित कार्यवृत्त के अनुसार जारी किया गया है।


5.2.2021
(डॉ. राजीव कुमार सिंह)
सहायक निदेशक (राजभाषा)

प्रतिलिपि -

1. निदेशक महोदय के प्रधान वैयक्तिक सचिव ।
2. अपर निदेशक (मुख्यालय)/अपर निदेशक (प्रचालन) के वैयक्तिक सचिव ।
3. सभी संयुक्त निदेशक/उप निदेशक ।
4. सभी अनुभाग/अनुभाग अधिकारी - कृपया आवश्यक कार्रवाई हेतु।
5. उप निदेशक, पोलनेट हब, समन्वय सदन, सिरी फोर्ट, नई दिल्ली:- कृपया आवश्यक कार्रवाई हेतु ।
6. सहायक निदेशक, केंद्रीय पुलिस रेडियो प्रशिक्षण संस्थान, वन्दे मातरम् मार्ग, नई दिल्ली :- कृपया आवश्यक कार्रवाई हेतु ।
7. स.नि. (सूचना प्रौद्योगिकी) - अंतर राज्य पुलिस बेतार केन्द्रों के सूचनार्थ विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
8. कार्यालय प्रति।